(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 88/2019 **जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00761**

1. पड़मेश्वरी पुत्र भगवाना पत्नी नत्थुराम उम्र 62 साल जाति खाती निवासी सागवा हाल आबाद डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. प्रेम पुत्री भगवाना पत्नी किशन सिंह उम्र 52 साल जाति खाती निवासी सागवा हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद तलोट तहसील नागल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि0
3. रोशनी पुत्री भवाना पत्नी अमर सिह उम्र 47 जाति खाती निवासी सागवा हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद तलोट तहसील नागल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि0

.............वादीयागण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र भगवाना जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. शंकर लाल पुत्र भगवाना जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. अजय कुमार पुत्र भगवाना जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. अंजु पुत्री केशुराम पत्नी राकेश जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कोलियाना की ढाणी तन मन्दोला तहसील अटेली मंडी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
5. अनिता पुत्र केशुराम पत्नी महिपाल जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद कोलियाना की ढाणी तन मन्दोला तहसील अटेली मंडी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा
6. अशोक कुमार पुत्र केशुराम जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. संतोष पत्नी केशुराम जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8. ग्यारसी पत्नी परसुराम जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. बंटी पुत्री परसुराम पत्नी अनिल जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद तलोट तहसील नागल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि0
10. सरोज पुत्री परसुराम पत्नी अनुप सिह जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 हाल आबाद तलोट तहसील नागल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि0
11. अनिता पुत्री रामपाल
12. जयोति पुत्री रामपाल
13. शर्मिला पुत्री रामपाल
14. सविता पुत्री रामपाल
15. दीपक पुत्र रामपाल समस्त जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
16. जगदीश पुत्र छैलु
17. निरंजन पुत्र छैलु
18. रामनिवास पुत्र छैलु समस्त जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
19. भगोती पुत्री छैलु पत्नी छाजुराम जाति खाती निवासी सागवा हाल आबाद चुड़िना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
20. सुरेश पुत्र इलायची पत्नी रामनिवास
21. पुरूषोत्तम पुत्र इलायची पत्नी रामनिवास
22. नरोत्तम पुत्र इलायचि पत्नी रामनिवास जाति खाती निवासी रंवा की ढाणी तन खातीपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
23. कैला बाई पुत्री सुखपाल
24. किरण बाई पुत्री सुखपाल
25. मणी पत्नी सुखपाल
26. माया पुत्री सुखपाल
27. सतपाल पुत्र सुखपाल जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
28. ब्रहमानन्द
29. मदन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

30. सन्तलाल
31. बजरंग लाल पुत्रान सुरजाराम जाति खाती निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
32. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील खेतड़ी
33. उप पंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः– 27/03/2024

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि ख0 न0 266 रकबा 0.98है0 ख0 न0 271 रकबा 0.96है0 ख0 न0 332 रकबा 0.02है0 ख0 न0 585 रकबा 0.01है0 ख0 न0 586 रकबा 0.37है0 ख0 न0 589 रकबा 0.03है0 ख0 न0 664 रकबा 0.51है0 ख0 न0 655 रकबा 0.03है0 ख0 न0 658 रकबा 0.92है0 ख0 न0 659 रकबा 0.23है0 ख0 न0 661 रकबा 0.02है0 ख0 न0 662 रकबा 0.60है0 ख0 न0 673 रकबा 1.12है0 ख0 न0 931/590 रकबा 0.01है0 ख0 न0 932/950 रकबा 0.04है0 ख0 न0 938/656 रकबा 0.02है0 ख0 न0939/656 रकबा 0.05है0 ख0 न0 956/590 रकबा 0.01है0 कुल किता 18 कुल रकबा 5.93है0 भूमि का 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार वादीयागण व प्रति0 स0 1 ल0 3 के पिता व प्रति0 स0 4 ल0 6 व प्रति0 स0 9 ल0 10 के दादा व प्रति0 स0 7 व 8 के ससुर भगवाना पुत्र मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज थी

इस प्रकार भगवाना के पांच पुत्र व तीन ... प्रति0 स0 1 ल0 3 पुत्र जीवित है तथा सुरजाराम व छैलुराम ... जिनके वारिसान प्रति0 स. 4 ल0 10 है वादीयागण स0 1 ल0 3 ... की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वाद वर्णित भूमि में भगवाना की खातेदारी में दर्ज थी उक्त मंगलाराम जो वादीयागण का दादा था उसके तीन पुत्र क्रमशः सुरजाराम, छैलुराम व भगवाना हुए। इस प्रकार मंगलाराम के फौत होने पर वाद वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा सुरजाराम, 1/3 हिस्सा छैलुराम, 1/3 हिस्सा भगवाना के नाम से दर्ज हुआ। वर्तमाान में सुरजाराम, छैलुराम व भगवाना भी फौत हो चुके है। सुरजाराम के वारिसान प्रति0 स0 11 ल0 15 व 28 ल0 31 है तथा छैलुराम के वारिसान प्रति0 स0 16 से 27 है जिस बाबात कोई विवाद नहीं हैं चूंकि इस भूमि उक्त पक्षकारों के नाम से खातेदारी दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीयागण इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहती है। इनको मात्र प्रफोरमा प्रतिवादी बनाया गया है।

3. यह कि वादीयागण के पिता भगवाना का देहान्त 03.03.2014 को हो गया तथा वादीयागण के पिता की मृत्यु होते ही उसके सभी वारिसान को हिन्दू उत्तराधिकारी में मिला है इस प्रकार इस भूमि में वादीयागण के पिता का 1/3 हिस्सा था जिसमें वादीया स0 1 का 1/24, वादीया स0 2 का 1/24, वादीया स0 3 का 1/24 व प्रति0 स0 1 ल0 3 का 3/24 हिस्सा व प्रति0 स0 4 ल0 7 का 1/24 हिस्सा, प्रति0 स0 8 ल0 10 का 1/24 हिस्सा है। जो वादीयागण को उत्तराधिकार में मिल चुका है। इस प्रकार वादीयागण को उसके पिता के हिस्से में से उत्तराधिकार में यह भूमि मिली है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि वादीया के पिता भगवाना के खातेदारी की थी। भगवाना की मृत्यु के बाद प्रति0 स0 1 ल0 10 ने राजस्व कर्मचारीयों से साजिश कर इस सम्पूर्ण भूमि में वादीयागण के पिता भगवाना के 1/3 हिस्सा में पांच भाईयों ने यानि प्रति0 1 ल0 3 ने 3/15, प्रति0 स0 4 ल0 7 ने 1/15, व प्रति0 स0 8 ल0 10 ने 1/15 हिस्सा दर्ज करवा लिया। एवं वादीयागण का नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ। जबकि वादीयागण को 3/24 हिस्सा हिनदू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो गया था जो आज तक उनके पास है। प्रति0 स0 1 ल0 10 ने वादीयागण को उनके हिस्से से वंचित करने के लिए जब [illegible] नामान्तरण दर्ज हुआ उस समय जान बुझकर साजिश[illegible] खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया। वादीयागण के पिता की [illegible] नामान्तरण प्रति0 स0 1 ल0 10 ने दर्ज करवाया है वह वादीयागण के अधिकारीयों [illegible] शुन्य व प्रभावहीन है इसलिए वादीयागण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमि वादीयागण की पैत्रक है, जो पूर्व में वादीयागण के दादा मंगला की खातेदारी में दर्ज थी उसकी मृत्यु पर वादीयागण के पिता मंगला व उसके भाई सुरजाराम व छैलुराम के नाम से दर्ज हुई है इस प्रकार से वादीयागण को इस भूमि में उतराधिकार अधिनियम के अनुसार भगवाना के पांच पुत्रों के बराबर ही हिस्सा व अधिकार है।

6. यह कि प्रति0 स0 1 ल0 10 गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवाकर एक गलत रिकार्ड की आड़ में अब वादीयागण के अधिकारों से इंकार करने लगे है तथा वादीयागण को उनके हिस्से की भूमि को कास्त करने में दखलंदाजी पैदा करने लगे हैं तथा गांव में ग्राहक तलाश कर इस भूमि को रहन, बेचान व खर्दु बुर्द करने पर आमदा है। इसलिए वादीयागण के लिए आवश्यक हुआ कि वह अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा करवाये। इसलिए वादीयागण की ओर से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादीया का 3/24 हिस्सा है प्रति0 स0 1 ल0 10 ने वादीयागण के पिता भगवानाराम की मृत्यु के बाद समस्त रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवा दिया है एवं अब गलत रिकार्ड की आड़ में दान, रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहे है। यदि प्रति0 स0 1 ल0 10 ने गलत रिकार्ड की आड़ में वाद वर्णित भूमि को रहन, बेचान, दान किसी अन्य को कर दिया तो वादीयागण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मुद्रा में मुल्याकंन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादीयागण के लिए यह आवश्यक हो जाता है किवे प्रति0 स0 1 ल0 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाये किवे वाद वर्णित भूमि को दान, रहन, बेचान ना करें।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 0.98है0 ख0 न0 271 रकबा 0.96है0 ख0 न0 332 रकबा 0.02है0 ख0 न0 585 रकबा 0.01है0 ख0 न0 586 रकबा 0.37है0 ख0 न0 589 रकबा 0.03है0 ख0 न0 664 रकबा 0.51है0 ख0 न0 655 रकबा 0.03है0 ख0 न0 658 रकबा 0.92है0 ख0 न0 659 रकबा 0.23है0 ख0 न0 661 रकबा 0.09है0 ख0 न0 662 रकबा 0.60है0 ख0 न0 673 रकबा 1.12है0 ख0 न0 931/590 रकबा 0.01है0 ख0 न0 932/950 रकबा 0.04है0 ख0 न0 938/656 रकबा 0.02है0 ख0 न0939/656 रकबा 0.05है0 ख0 न0 956/590 रकबा 0.01है0 कुल किता 18 कुल रकबा 5.93है0 में वादीया स0 1 का 1/24, वादीया स0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

का 1/24, वादीया स0 3 का 1/24 की खातेदारी कास्तकार घोषित किया जावे व प्रति0 स0 1 का 1/15 की जगह 1/24, प्रति0 स0 2 का 1/15 की जगह 1/24, प्रति0 स0 3 का 1/15 की जगह 1/24, प्रति0 स0 4 ल0 7 का 1/15 की जगह 1/24 व प्रति0 स0 8 ल0 10 का 1/15 की जगह 1/24 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। उक्त रकबा भगवाना की हिस्से में से दर्ज किया गया।

(ख). कि प्रति0 स0 1 ल0 10 को जरिये निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 0.98है0 ख0 न0 271 रकबा 0.96है0 ख0 न0 332 रकबा 0.02है0 ख0 न0 585 रकबा 0.01है0 ख0 न0 586 रकबा 0.37है0 ख0 न0 589 रकबा 0.03है0 ख0 न0 664 रकबा 0.51है0 ख0 न0 655 रकबा 0.03है0 ख0 न0 658 रकबा 0.92है0 ख0 न0 659 रकबा 0.23है0 ख0 न0 661 रकबा 0.02है0 ख0 न0 662 रकबा 0.60है0 ख0 न0 673 रकबा 1.12है0 ख0 न0 931/590 रकबा 0.01है0 ख0 न0 932/950 रकबा 0.04है0 ख0 न0 938/656 रकबा 0.02है0 ख0 न0939/656 रकबा 0.05है0 ख0 न0 956/590 रकबा 0.01है0 कुल किता 18 कुल रकबा 5.93है0 भूमि को रहन, दान, बेचान या हस्तानान्तरण नहीं करे तथा प्रति0 स0 34 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि प्रति0 स0 1 ल0 10 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेज को तस्दीक ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 24 तथा 27 लगा0 34 की तामील रजि0 डाक से होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 05.01.2021 को लाई गई। एवं वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 25 व 26 के विरूध कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। ... जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन ... ने बताया कि वादीया की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार ... पिता की मृत्यु उपरांत हिस्से से वछिंत रखा गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 प्रदर्श 3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

जमाबन्दी सम्वत 2060–2062 प्रदर्श 4,जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 प्रदर्श 6, जमाबन्दी सम्वत 2048–2051 प्रदर्श 7, जमाबन्दी सम्वत 2044–2047 प्रदर्श 8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता सं0 खाता सं0 134 के भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 0.98है0 ख0 न0 271 रकबा 0.96है0 ख0 न0 332 रकबा 0.02है0 ख0 न0 585 रकबा 0.01है0 ख0 न0 586 रकबा 0.37है0 ख0 न0 589 रकबा 0.03है0 ख0 न0 664 रकबा 0.51है0 ख0 न0 655 रकबा 0.03है0 ख0 न0 658 रकबा 0.92है0 ख0 न0 659 रकबा 0.23है0 ख0 न0 661 रकबा 0.02है0 ख0 न0 662 रकबा 0.60है0 ख0 न0 673 रकबा 1.12है0 ख0 न0 931 / 590 रकबा 0.01है0 ख0 न0 932 / 590 रकबा 0.04है0 ख0 न0 938 / 656 रकबा 0.02है0 ख0 न0939 / 656 रकबा 0.05है0 ख0 न0 956 / 590 रकबा 0.01है0 कुल किता 18 कुल रकबा 5.93है0 में वादीया स0 1 का 1 / 24, वादीया स0 2 का 1 / 24, वादीया स0 3 का 1 / 24 की खातेदारी कास्तकार घोषित किया जावे व प्रति0 स0 1 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 2 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 3 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 4 ल0 7 का 1 / 15 की जगह 1 / 24 व प्रति0 स0 8 ल0 10 का 1 / 15 की जगह 1 / 24 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। (1) रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के विरूध्द्व दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(हेमन्त कुमार)
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 27/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(हेमन्त कुमार)
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 88 / 2019 **जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 00761**
निर्णय दिनांक :– 27/3/24

पड़मेश्वरी **बनाम** जयसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा
–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज तारीख..................को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 266 रकबा 0.98है0 ख0 न0 271 रकबा 0.96है0 ख0 न0 332 रकबा 0.02है0 ख0 न0 585 रकबा 0.01है0 ख0 न0 586 रकबा 0.37है0 ख0 न0 589 रकबा 0.03है0 ख0 न0 664 रकबा 0.51है0 ख0 न0 655 रकबा 0.03है0 ख0 न0 658 रकबा 0.92है0 ख0 न0 659 रकबा 0.23है0 ख0 न0 661 रकबा 0.02है0 ख0 न0 662 रकबा 0.60है0 ख0 न0 673 रकबा 1.12है0 ख0 न0 931 / 590 रकबा 0.01है0 ख0 न0 932 / 590 रकबा 0.04है0 ख0 न0 938 / 656 रकबा 0.02है0 ख0 न0939 / 656 रकबा 0.05है0 ख0 न0 956 / 590 रकबा 0.01है0 कुल किता 18 कुल रकबा 5.93है0 में वादीया स0 1 का 1 / 24, वादीया स0 2 का 1 / 24, वादीया स0 3 का 1 / 24 की खातेदारी कास्तकार घोषित किया जावे व प्रति0 स0 1 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 2 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 3 का 1 / 15 की जगह 1 / 24, प्रति0 स0 4 ल0 7 का 1 / 15 की जगह 1 / 24 व प्रति0 स0 8 ल0 10 का 1 / 15 की जगह 1 / 24 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। (1) रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के विरूध्द दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27/3/24 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.05.15 12:13:29 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना